

14/7/17

काज पत्रावली मूल कावा के साथ नाम  
कापने वरि केम कुडिला पर फेफ हुर  
ती. पत्र 212 RIAET निर्गत मिजाज  
प्रतिवादीको को मूल काड के निर्णय होने  
तक हस्ताक्षर निषेधाज्ञा से पावत मिजाजत ह  
कि वे विवाहित सायलात को विवाहित  
आराजी को रूक वय नही करे, तथा  
रिवाड व मंत्र की घषा स्थिति कानि  
करवे। पत्रावली फिसल शुमार की  
नम्बर से कर्म की जम्हर दाखिल  
कफल ह्ये।

उपखण्डाधिकारी  
बडी (धौलपुर) शेख